पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार सरकार

आदेश

संख्या–................................/प०व०　　　　**पटना–15, दिनांक** :......................

प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन आज के विकसित समाज की एक गंभीर समस्या है। जैव–विघटेय नहीं होने के कारण यह लम्बी अवधि तक पर्यावरण में कायम रहते हुए मिट्टी, जल स्त्रोतों, नदियों आदि को कुप्रभावित करता है। इसको खुले रूप में जलाने से वायु प्रदूषण होता है। भूमि के अन्दर दबने से वहां की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। बचे खाद्य–पदार्थों को प्लास्टिक कैरी–बैग (पॉलिथीन) में फेंके जाने के पश्चात् पशु उन्हें खा लेते हैं, जिससे जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस कारण उनकी मौत भी हो जाती है।

2. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–एस0ओ0 152 (ई0), दिनांक 10.02.1988 के तहत राज्य सरकार को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के तहत् पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार सरकार के अधीन जैविक उद्यान/ईको–पार्क/पार्क की सीमा के अन्दर 50 माईक्रोन मोटाई से कम नन–कम्पोस्टेबल प्लास्टिक वस्तुओं के उपयोग को प्रतिबंधित किया जाता है तथा इन्हें प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाता है।

3. यह आदेश विश्व पर्यावरण दिवस 05 जून, 2018 की तिथि से प्रवृत्त होगा।

ह०/–
प्रधान सचिव
पर्यावरण एवं वन विभाग
बिहार सरकार

ज्ञापांक–पर्या0/वन–25/2018 652 (ई0)/प०व०　　　　**पटना–15, दिनांक** : 31/05/18

प्रतिलिपिः प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार/सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियत्रंण पर्षद, पटना/सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों/आई0टी0 मैनेजर, पर्यावरण एवं वन विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/5/18
(मोख्तारूल हक)
परामर्शी